भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1246

सोमवार, 2 मई, 2016/ 12 वैशाख, 1938 (शक)

निर्माण कामगारों को भविष्य निधि लाभ

1246. डॉ. उदित राज:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि निजी निर्माण कंपनियों सहित अनेक प्रतिष्ठान अपने कामगारों को भविष्य निधि (पीएफ) लाभ देने से मना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में पंजीकृत/सूचित मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त सन्निर्माण कंपनियों सहित कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा अंशदान की गैर-अदायगी के उदाहरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ध्यानार्थ आए हैं।

(ख): 2012-13 से 2015-16 तक (दिसम्बर, 2015 तक) के लिए इन चूककर्ता प्रतिष्ठानों के राज्य-वार विवरण अनुबंध-क पर दिए गए हैं।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अधीन चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जाँचें आरंभ की गई हैं। 2012-13 से 2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान इस अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत की गई जाँचों की संख्या के विवरण अनुबंध ख पर दिए गए हैं।

(घ): अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए सन्निर्माण क्षेत्र सहित चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध ईपीएफओ द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:

(1) बकाया रा शियों के निर्धारण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई।

(2) बकाया रा शियों के विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना लगाने हेतु अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई।

(3) विलंब से भेजे गए धन के लिए ब्याज लगाने हेतु अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई।

(4) अधिनियम की धारा 8ख से 8छ तक के अंतर्गत यथा उपबंधित वसूली की कार्रवाईयाँ।

(5) सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई।

(6) कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कटौती किए गए लेकिन निधि में जमा न कराए गए कर्मचारियों के अंशदान के शेयर की गैर-अदायगी के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

****

**

अनुबंध क

सन्निर्माण कामगारों के भविष्य निधि लाभों के संबंध में डॉ. उदित राज द्वारा दिनांक 02.05.2016 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1246 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या के विवरण।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक)
1.	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश	1605	1461	528	883
2.	बिहार	62	147	28	110
3.	छत्तीसगढ़	44	87	302	88
4.	दिल्ली	62	105	82	211
5.	गोवा	126	102	61	33
6.	गुजरात दमन और दीव और दादर एवं नागर हवेली सहित	293	387	287	340
7.	हरियाणा	170	112	185	204
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
9.	झारखंड	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	1217	1152	1133	1105
11.	केरल लक्षद्वीप सहित	2009	2078	721	1118
12.	मध्य प्रदेश	553	423	446	188
13.	महाराष्ट्र	538	181	955	1692
14.	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	135	161	233	223
15.	उड़ीसा	96	39	73	178
16.	पंजाब चंडीगढ़ सहित	66	485	172	348
17.	राजस्थान	119	210	182	107
18.	पुडुचेरी सहित तमिलनाडु	3609	5198	4091	2644
19.	उत्तर प्रदेश	288	555	67	562
20.	उत्तरांचल	66	87	51	13
21.	पश्चिम बंगाल अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम सहित	337	374	494	885
	कुल	**11395**	**13344**	**10091**	**10932**

अनुबंध ख

सन्निर्माण कामगारों के भविष्य निधि लाभों के संबंध में डॉ. उदित राज द्वारा दिनांक 02.05.2016 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1246 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत की गई जाँचों के विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)
1.	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश	2277	2621	1287	1906
2.	बिहार	47	144	45	36
3.	छत्तीसगढ़	172	157	483	258
4.	दिल्ली	155	162	288	605
5.	गोवा	155	84	91	52
6.	गुजरात दमन और दीव और दादर एवं नागर हवेली सहित	609	652	496	954
7.	हरियाणा	612	840	500	566
8.	हिमाचल प्रदेश	112	74	117	183
9.	झारखंड	47	26	462	85
10.	कर्नाटक	1916	1894	866	441
11.	केरल लक्षद्वीप सहित	1919	1164	1325	922
12.	मध्य प्रदेश	541	613	316	206
13.	महाराष्ट्र	1314	761	1551	1026
14.	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	112	441	124	213
15.	उड़ीसा	228	171	138	178
16.	पंजाब चंडीगढ़ सहित	1085	792	450	1061
17.	राजस्थान	97	498	154	142
18.	पुडुचेरी सहित तमिलनाडु	5251	5833	4104	2547
19.	उत्तर प्रदेश	622	575	646	941
20.	उत्तरांचल	40	39	130	35
21.	पश्चिम बंगाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम सहित	354	583	514	820
	कुल	**17665**	**18124**	**14087**	**13177**

*****